न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बिट्रेटर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी : जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 10/2020 (फोरलेन)

उनवान

श्रीमति संगीता पत्नि रोहित चेचाणी निवासी 41, मेन सेक्टर, शास्त्रीनगर भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति अधिकारी), अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), भीलवाडा।
2. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 6—ए—1, आर0सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा—3जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 विरूद्ध अवार्ड क्रमांक 27/2018 दिनांक 26.12.2018 एवं संशोधित अवार्ड दिनांक 16.01.2020

उपस्थित —

1 अधिवक्ता प्रार्थी— श्री गोपाल अजमेरा, सत्यनारायण सोमानी।

2. अधिवक्ता अप्रार्थी — श्री मुकुट बिहारी दाधीच, गोविन्द मेवाडा।

निर्णय

दिनांक : 07/01 /2026

1— प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3 जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम एक्ट 1956 के तहत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (क) की उप धारा (1) के अधिन एक अधिसूचना दिनांक 21.08.2017 को जारी की गई तथा दिनांक 02.09.2017 को समाचार पत्रों मे प्रकाशन करवा गया। उक्त अधिसूचना मे श्रीमती मंजूला पत्नी रामकुवार चेचाणी के खातेदारी की कृषि भूमि आराजी संख्या 1667, 1671, 1672, 1674 एवं 1674/1 का आंशिक रकबा 0.4414 हैक्टेयर को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 गुलाबपुरा—चितौडगढ खण्ड छःलेन के लिये अवाप्त किया गया है।

2— श्रीमती मंजूला चेचाणी जो कि खातेदार थी उसका निधन दिनांक 21.08.2018 को हो गया तथा श्रीमती मंजूला द्वारा प्रार्थीया के पक्ष मे उक्त आराजियात के संबन्ध मे दिनांक 17.08.2018 को वसीयत की जिसके आधार पर उक्त आराजियात के हक अधिकार प्रार्थीया में निहित हो गये, इस कारण अवाप्ति कार्यवाही के दौरान भी प्रार्थीया द्वारा प्रार्थनापत्र मय मृत्यु प्रमाणपत्र एवं रजिस्टर्ड वसियतनामा प्रस्तुत कर अवाप्ताधीन भूमि का मुआवजा प्रार्थीया को दिलाये जाने बाबत निवेदन किया गया लेकिन अवाप्ति अधिकारी द्वारा नामांकन कार्यवाही प्रार्थी के हक में नही होना बताकर प्रार्थीया को पक्षकार नहीं बनाकर रामकुवार चेचाणी, रोहित चेचाणी एवं रश्मि चेचाणी को हितधारी के रूप में पक्षकार बना दिया, इस संबन्ध मे प्रार्थीया द्वारा न्यायालय तहसीलदार हमीरगढ़ के यहां भी नामान्तरण खोले जाने बाबत कार्यवाही की जिनके द्वारा दिनांक 07.06.2019 को आदेश पारित कर उक्त आराजियात को प्रार्थीया के नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार उक्त आराजियात की हितधारी/खातेदार प्रार्थीया हो गई।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थी की उक्त अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजे का जो निर्धारण किया गया तथा उसके बाबत प्रथम अवार्ड जो दिनांक 26.12.2018 को जारी किया गया उसमे ब्याज की गणना अवाप्ती बाबत जारी नोटिफिकेशन दिनांक 21.08.2017 से अवार्ड जारी किये जाने की दिनांक 26.12.2018 तक की अवधी का 492 दिवस मानकर 10,50,778/– रूपये गणना कर अवार्ड मे जोडे गये जबकि वस्तुत ब्याज की राशि की गणना अवाप्ति नोटिफिकेशन दिनांक 21.08.2017 से वास्तविक तौर मुआवजा राशि का भुगतान किये जाने तक की समयावधी के लिये किया जाना चाहिये लेकिन इस प्रकार अवार्ड मे दर्शित नही किया तथा इस कारण अवार्ड राशि का भुगतान भी नहीं कर पुनः विपक्षी राजष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संशोधित अवार्ड बाबत निवेदन किये जाने पर कि अवाप्ति नोटिफिकेशन दिनांक 21.08.2017 से मूल अवार्ड जारी किये जाने की दिनांक 26.12.2018 को अवार्ड जारी किये जाने तक 492 दिवस नही होकर 480 दिन ही होते है इसलिये तद्नुसार संशोधित अवार्ड जारी किये जाने का निवेदन किये जाने पर 16 जनवरी 2020 को संशोधित अवार्ड जारी किया गया जिसमे ब्याज की राशि नोटिफिकेशन दिनांक 21.08.2017 से मूल अवार्ड दिनांक 26.12.2018 तक 480 दिवस मान कर 10,25,149/– रूपये निर्धातिर करते हुए संशोधित अवार्ड जारी कर दिया तथा उक्त संशोधित अवार्ड के आधार पर प्रार्थीगण को दिनांक 24.01.2020 को 2,24,16,043 /– रूपये का भुगतान किया गया अर्थात प्रार्थीगण को संशोधित अवार्ड दिनांक 16.01.2020 के आधार पर जो उक्त राशि का भुगतान किया गया उसमे ब्याज की राशि की गणना दिनांक 26.12.2018 तक की अवधी की ही की गई है, जबकि संशोधित अवार्ड दिनांक 16.01.2020 को जारी किया गया है एवं भुगतान दिनांक 24.01.2020 को किया गया है ऐसी स्थिति मे संशोधित अवार्ड मे वास्तविक तौर मुआवजा भुगतान किये जाने तक की समयावधी तक के ब्याज की राशि की गणना कर भुगतान किये जाने का आदेश पारित किया जाना चाहिये था तथा संशोधित अवार्ड जो कि दिनांक 16.01.2020 को जारी किया गया उसमे दिनांक 16.01.2020 तक की अवधी तक का ब्याज तो जोड कर ही अवार्ड जारी किया जाना चाहिये था। इस प्रकार माननीय प्राधिकृत अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 26.12.2018 से संशोधित अवार्ड दिनांक 16.01.2020 के आधार पर भुगतान किये जाने की दिनांक 24.01.2020 तक के ब्याज बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया जिसके कारण प्रार्थीगण को इस समयावधी के ब्याज की राशि का भुगतान नही हुआ है।

3– माननीय सक्षम अधिकारी के अवार्ड मे यह वर्णित किया जाना भी पूरी तरह विधि विरूद्ध है कि मृतक खातेदार मंजुला चेचाणी के राजस्व अभिलेख में अंकित होने वाले नवीन खातेदार को इंदाज उपरान्त भुगतान किया जावे, इस प्रकार की शर्त आरोपित किये जाने का कोई विधिक औचित्य नही है, क्योंकि प्रार्थीगण खातेदार श्रीमती मंजूला चेचाणी के द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड वसियत नामे के तहत विधिकतौर हितधारी/खातेदार है यह स्वीकृत स्थिति है तथा मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी प्रार्थी ही है। इस संबन्ध में तहसीलदार हमीरगढ द्वारा भी प्रार्थी के पक्ष में नामान्तरण खोलने का आदेश पारित कर दिया है तथा दिनांक 24.01.2020 को उसी के आधार पर अवार्ड की राशि का भुगतान भी प्रार्थीया को ही किया गया है।

अतः सक्षम प्राधिकारी महोदय द्वारा जारी अवार्ड को उक्त अनुसार अपास्त/संशोधित किया जाकर अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजा निर्धारण मे मूल अवार्ड दिनांक 26.12.2018 से संशोधित अवार्ड दिनांक 16.01.2020 के तहत भुगतान किये जाने की दिनांक 24.01.2020 तक की सयमावधी की ब्याज की राशि की गणना कर भुगतान किये जाने बाबत आदेश पारित फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

4— बाद जांच प्रकरण दिनांक 02.03.2020 को पजीबद्व किया जाकर अप्रार्थीगण को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षी की ओर से जवाब पेश। रिकॉर्ड प्राप्त। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।
विपक्षी एनएचएआई अधिवक्ता ने अपनी बहस/जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवार्ड पारित करते समय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं नये अधिनियम RFCTLARR, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पारित किया गया है। प्रार्थी द्वारा अवार्ड राशि पर ब्याज की गणना गलत बताया गया है वह स्वयं को अनुचित लाभ पहुंचाने बाबत किया गया है। जबकि सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवार्ड राशि पर ब्याज की गणना के संदर्भ में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के सिद्धांतों के अनुसार ब्याज का मूल्यांकन किया गया है जो कि सही है। जितनी दिवस की मूल अवार्ड राशि पर ब्याज बनता है उतना ही तय किया गया हैं।

5— सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवार्ड पारित करने के संदर्भ में जो भी कार्यवाही की गई है वह विधि के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए की गई है। उक्त मद में विधिक तौर पर हिताधिकारी घोषित करने हेतु प्रार्थी को जिला एवं न्यायाधीश महोदय के समक्ष रेफरेन्स पेश करना चाहिए था। श्रीमान न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया जाता उसी के अनुसार हिताधिकारी कायम किये जाते। सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जो अवार्ड पारित किया गया है वह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिताधिकारी श्रीमती मंजूला पत्नि रामकुंवार, रोहित, श्रीमति रश्मि के नाम पारित किया गया है जो कि सही है।

6— भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत गठित एक सविधिक निकाय है, जिसको सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, प्रबंध एवं रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा प्राधिकरण का यह सतत प्रयास है कि वह जन साधारण को सुरक्षित तथा पर्याप्त रूप से निर्मित व विकसित राष्ट्रीय राजमार्ग उपलब्ध कराये। यह समाधान हो जाने के पश्चात राजस्थान राज्य के भीलवाडा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—79 के भूखण्ड का निर्माण (चौडा करने/पेव्ड शोल्डर के साथ/6 लेन का बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन करने के लोक प्रयोजन के लिये भूमि अपेक्षित है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 ए की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना दिनांक 21.08.2017 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई। उक्त अधिसूचनाओ का प्रकाशन राजस्थान के दो प्रमुख समाचार पत्रों में दिनांक 02.09.2017 को प्रकाशित किया गया, के द्वारा भूमि का अर्जन किया गया। उक्त अधिसूचना के प्रकाशन में अवाप्तशुदा भूमि के खरारा नबर, भूमि की किस्म, भूमि का प्रकार तथा अवाप्त की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल राजपत्र में प्रकाशित करवायां गया।

7— उत्तरदाता अप्रार्थी की ओर से निवेदन है कि भीलवाडा जिला में एन. एच. 79 को 06 लेन चौड़ीकरण कार्य हेतु उत्तरदाता अप्रार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक परियोजना शुरू की है जिसमें भीलवाडा के ग्रामों की अवाप्त भूमि का प्रतिकर का निर्धारण किया गया है जिसके लिए उत्तरदाता अप्रार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार के राजपत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—79 को चौडा करने के साथ 06 लेन का बनाने हेतु अधिसूचना दिनाक 21.08.2017 के अन्तर्गत धारा उ ए की उपधारा (1) के अन्तर्गत ग्राम हमीरगढ़ की खातेदारी एवं सरकारी भूमि की अवाप्ति हेतु प्रकाशन भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण भाग द्वितीय खण्ड 3 उपखण्ड—II के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) जिसे आगे अधिनियम 1956 से सम्बोधित किया गया है की धारा 3 (क) की उपधारा (1) के तहत भारत के

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

pursuance of the notification issued under sub section (1) of section 3A is stayed by an order of a court shall be excluded.

(d) A declaration made by the Central Government under section 3D of sub section (1) shall not be called in question in any court or by any other authority.

10— राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी (3) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि सक्षम प्राधिकारी मुआवजा निर्धारण करने से पूर्व संबंधित खातेदार अथवा हितधारी व्यकितयों को मुआवजा के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु एक सार्वजनिक नोटिस दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा। अधिनियम के उक्त प्रावधान के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक नोटिस का प्रकाशन कर संबंधित खातेदारी/हितधारी व्यक्तियों से भूमि, इत्यादि के मुआवजे के संबंध में नोटिस प्रकाशन से 21 दिवस के अंदर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। प्रस्तुत प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रार्थी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजे के सबंध में जो आपत्ति की गई उसका निस्तारण करने के पश्चात मुआवजे के सबंध में अपना अवार्ड दिनांक 26.12.2018 को पारित कर दिया गया।

11— उप पंजीयक महोदय द्वारा जिस ग्राम की जो दर दी गई थी उसी के अनुसार उस गांव की भूमि की दर निर्धारित की गई है। यहां यह लिखना भी उचित होगा कि डी.एल.सी. दर विशेषज्ञों की कमेटी द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाती है व दर निर्धारित करने से पूर्व विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक भूमि की उपयोगिता, किस्म उसकी भौगोलिक स्थिति बाजार भाव शहर सड़क से दूरी इत्यादि का मूल्यांकन राजस्थान स्टॉम्प नियम 2004 के नियम 50 के अनुसरण में किया जाता है ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि डी.एल.सी. दर व बाजार मूल्य में किसी प्रकार की भिन्नता हो।

न्यायालय जिला कलक्टर नीलवाड़ा (राज.)

12— राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–79 के 06 लेन वास्ते अवाप्तशुदा भूमि में संरचनाओं/निर्माण की मुआवजा राशि के निर्धारण बाबत पी.डब्लू.डी. द्वारा उक्का आवाप्त भूमियों एवं निर्माण आदि का सर्वे कर मूल्यांकन करवाकर निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत कार्य करने का आदेश दिया गया, साथ ही सबंधित तहसीलदार को उनके पटवारी एवं गिरदावरी सहित सर्वे एवं मूल्यांकन कार्य में सहयोग एवं निगरानी हेतु निर्देशित किया गया। इस सम्बन्ध में पी.डब्ल्यू डी. की बी एस आर (बेसिक शिड्यूल आफ रेट) के आधार पर स्वतन्त्र तकनीकी मूल्याकनकर्ता द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सम्पुष्ट (वेट) किया गया। उक्त निर्माण आदि संरचना का अवार्ड सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित किया गया।

13— राजमार्गो पर स्थित कृषि भूमि के अकृषि रूपांतरण हेतु इण्डियन रोड काग्रेस (I.R.C.) के दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से लागू होते है। इण्डियन रोड कांग्रेस के दिशा निर्देश अनुसार आवासीय व पेट्रोल पम्प हेतु भू रूपांतरण सडक के मध्य से 40 मीटर छोडकर व व्यावसायिक प्रयोजन हेतु भू रूपांतरण सडक के मध्य से 75 मीटर छोडकर ही किया जा सकता है, साथ ही केंद्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा उक्त संबंध में समय–समय पर दिशा निर्देश जारी किया जाते है जो कि भू संपरिवर्तन आदेशों पर स्पष्टतया लागू होते है। यदि भू संपरिवर्तन आदेश उक्त दिशा निर्देशों व राज्य सरकार के आदेशों की अवज्ञा करते हुये जारी किये जाते है तो उक्त सपरिवर्तन आदेश इण्डियन रोड कांग्रेस के दिशा निर्देश अनुसार व राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक नं. एस.ई. (एन.एच.) पी.ए./05/डी–1603, दिनांक 24.02.2005 तथा क्रमांक प–2(8) राज/ भू0रू0/ ग्रुप–9/02 दिनांक 20.11.2004 के अनुसार स्वमेव ही निरस्त व शून्य हो जाते है।

अतः भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रारम्भिक आपत्तियों व अतिरिक्त कथन को रिकॉर्ड पर लिया जावें व सक्षम प्राधिकारी से भूमि अवाप्ति का रिकॉर्ड तलब किया जाकर प्रारम्भिक

जिला कलक्टर
नीलवाड़ा

आपत्तियों, मदवार जवाब तथा अतिरिक्त कथन में वर्णित तथ्यों की रोशनी में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज किए जाने के आदेश पारित करने का निवेदन किया गया।

14— **उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। जिसके अनुसार पाया गया कि –**

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–79 के भूखण्ड का निर्माण (चौडा करने/पेव्ड शोल्डर के साथ/6 लेन का बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन करने के लोक प्रयोजन के लिये भूमि अपेक्षित है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 ए की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना दिनांक 21.08.2017 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई। उक्त अधिसूचनाओ का प्रकाशन राजस्थान के दो प्रमुख समाचार पत्रों में दिनांक 02.09.2017 को प्रकाशित किया गया। तदुपरान्त केन्द्रीय सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने उक्त अधिनियम की धारा 3डी की उपधारा (3) दिनाक 01.03.2018 अधिसूचना जारी की है जिसका प्रकाशन भारत सरकार के राजपत्र भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (II) में उक्त अधिसूचना 3 डी का प्रकाशन भी दो समाचार पत्रों में दिनांक 21.03.2018 को प्रकाशित करवाया गया तथा अवाप्तधीन भूमि के हितधारको की दावा/आपत्तियां 21 दिन के अन्तर्गत आमन्त्रित की गई। इसके सम्बन्ध में ग्राम हमीरगढ़ की आपत्तियां/दावे प्राप्त हुये उनका विधि के प्रावधानो के अनुसार निस्तारण कर दिया गया।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अंतर्गत समस्त आपत्तियों पर विचार कर उन्हे निर्णित करने के पश्चात अपनी धारा 3 डी का अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा, जिसके पश्चात केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तथा अधिग्रहण की घोषणा के संबंध में प्रावधान दिये गये है। धारा 3डी (2) के अनुसार भूमि अवाप्ति की अधिसूचना अंतर्गत धारा 3 डी (1) जारी होने के पश्चात अवाप्त भूमि निर्बाध रूप से केन्द्र सरकार में निहित हो जाती है, जिसमें खातेदार अथवा हितधारी को कोई भी हक व हकूक शेष नही रह जाता है, जिसमें प्रार्थी की भूमि भी सम्मिलित है। धारा 3डी (4) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई घोषणा को किसी न्यायालय या किसी अन्य अधिकारी के समक्ष चुनौती नही दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का मौजूदा प्रार्थनापत्र प्रचलीत विधिक प्रावधानों के तहत नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं है।

इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 17.02.2020 को स्वीकार योग्य नहीं ठहरता है। अतएव–

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा विवेचन अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौजूदा प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय (सक्षम प्राधिकारी), अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), भीलवाडा द्वारा पारित आलोच्य अवार्ड को यथावत रखा जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), भीलवाडा को तलबिदा रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07/01/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
जिला कलक्टर (आर्बिट्रेटर)
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा